5-13/12

26-03-2013

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना।
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

आवेदक **श्री राम नन्दन सिंह,** पिता–स्व0 नाथो सिंह, सा0–मोलदियार टोला, थाना–मोकामा, जिला–पटना के नाम एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–288/77 को (Restore) करने हेतु, आयुक्त न्यायालय (शस्त्र अपील) वाद संख्या–230/2011 राम नन्दन सिंह बनाम बिहार सरकार में आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा दिनांक–10.01.2012 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गयी।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–288/77 निर्गत किया गया था, जिसे वर्ष 1993 में रद्द कर दिया गया। शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने की जानकारी उन्हें नहीं थी। वर्ष 2011 में सूचना के अधिकार कानून अन्तर्गत प्राप्त सूचना से यह ज्ञात हुआ कि उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति ; लम्बे अवधि तक शस्त्र क्रय नहीं करने के कारण रद्द कर दी गयी। इस जानकारी के पश्चात आयुक्त न्यायालय में शस्त्र अपील वाद सं0–230/2011 दायर किया गया, जिसमें पुनर्विचार हेतु आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–288/77 को **Restore** करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालय में संधारित शस्त्र पंजी का अवलोकन किया गया, पाया गया कि शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–288/77 एक एन0पी0बोर रायफल हेतु वर्ष 1977 में निर्गत किया गया, जिसका नवीकरण वर्ष 1986 तक कराया गया है। वर्ष 1993 में शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है। निर्गत किये गये शस्त्र अनुज्ञप्ति पर कभी भी शस्त्र धारित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा एक लंबे अवधि तक शस्त्र का क्रय नहीं किया गया तथा समय पर नवीकरण भी नहीं कराया गया, जो शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु निर्धारित शर्त्तों के प्रतिकूल है।

आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, कार्यालय में संधारित पंजी, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक

5.13/12

श्री रामनन्दन सिंह के एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0– 288/77, थाना–मोकामा को पुनः स्थापित **(Restore)** किये जाने का कोई यथेष्ट कारण/आधार नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959, शस्त्र नियम 1962 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या–V–11016/16/2009–शस्त्र, दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों– के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आयुक्त न्यायालय, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा शस्त्र अपील वाद सं0–230/2011 में दिनांक–10.01.2012 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक के एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0–288/77, थाना–मोकामा, जिला–पटना को पुनः स्थापित **(Restore)** करने हेतु समर्पित आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

शस्त्र अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

26/03/12

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

26/03/12

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।